

वनभूमि की मांग का पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए विस्तृत आख्या

कार्य का नाम :- जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकास खण्ड डुण्डा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 94 सिलक्यारा (शिवगुफा) से मंजगांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (लम्बाई 5.00 किमी०)।

प्रस्तावित मोटर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 94 धरासू-यमुनोत्री मोटर मार्ग के सिलक्यारा (शिवगुफा) से प्रारम्भ होकर सौंद गांव होते हुए मंजगांव तक निर्मित की जायेगी।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी दृष्टि से जो समरेखण सर्वथा उपयुक्त पाया गया उसमें 200 मी० लम्बाई में आरक्षित वनभूमि, 900 मी० लम्बाई में सिविल सोयम वनभूमि एवं 3900 मी० लम्बाई में नापभूमि पड़ती है। इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु ली जाने वाली भूमि की चौड़ाई 9.00 मी० रखी गयी है जिसके अनुसार मोटर मार्ग के लिए 0.180 है० आरक्षित वनभूमि, 1.130 है० सिविल सोयम वनभूमि हस्तान्तरण की आवश्यकता है। इस समरेखण में विभिन्न प्रजाति के 42 वृक्ष परियोजना के निर्माण कार्य से प्रभावित होंगे, जिसकी सूची संलग्न है।

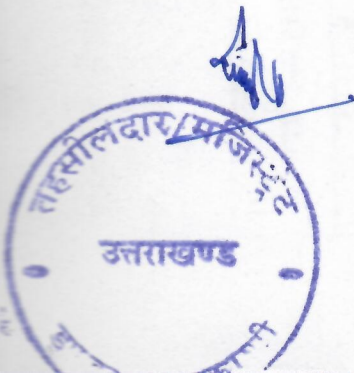
स्वीकृत समरेखण की तुलना में वैकल्पिक समरेखण की लम्बाई 0.60 किमी० अधिक आ रही है तथा इस समरेखण में आरक्षित वनभूमि एवं वृक्ष अधिक प्रभावित होंगे तथा इस समरेखण में एक अधिक एच०पी० बैंड आने के कारण मार्ग की स्थायित्व की दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए वैकल्पिक समरेखण पर विचार नहीं किया गया।

उक्त मोटर मार्ग के निर्मित होने से ग्राम सौंद, नगल, मंजगांव ग्राम लाभान्वित होंगे एवं नकदी फसल बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी एवं ग्रामवासियों को ब्रह्मखाल बाजार व जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी पहुंचने में पहले से कम दूरी तय करनी होगी।

अतः उक्त समरेखण पर मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्णतः औचित्यपूर्ण है।

सहायक अभियन्ता
प्र० ख० लो० नि० वि०
उत्तरकाशी

अध्यक्ष अभियन्ता 23/5
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
उत्तरकाशी



उपजिलाधिकारी
डुण्डा, उत्तरकाशी

प्रभानीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी